19

समक्ष माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

C-F-25-6-13

R-2606-PBM/13 निग. प्रकरण कमॉक– /2012–13

चन्द्रशेखर पाटीदार आ0 श्री किशन
नारायण पाटीदार निवासी–मोहल्ला हाजीपुर
तहसील सिरोंज जिला विदिशा । ....आवेदक

विरूद्ध

1– नरेन्द्र पाटीदार आ0 श्री गंगाराम
पाटीदार निवासी– मोहल्ला हाजीपुर सिरोंज
तहसील सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
2– आदित्य पालीवाल आ0 श्री बृजमोहन
पलीवाल निवासी–ग्राम मुगलसराय तहसील
सिरोंज जिला विदिशा .... **अनावेदकगण**

श्री अनोज गुप्ता अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-6-13 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
24-6-13

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के द्वारा उनके प्रकरण कमॉक–105/12–13 मे पारित आदेश दिनॉक–05–06–2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अहीर खेडी स्थित भूमि खसरा कमॉक 115/1 रकबा 0.996 हेक्टैयर भूमि में से रकबा 0.25 हैक्टैयर भूमि वर्तमान अनावेदक ने उपरोक्त अनावेदक कमॉक–1 से रजिस्टर्ड विकय–पत्र के द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त किया एवं नामान्तरण कराया। इसके बाद आवेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष सीमॉकन की कार्यवाही अर्थात् बटान डालने हेतु आवेदन दिया। अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रकरण कमॉक–6/अ–3/2012–13 में दिनॉक–15–04–2013 को आदेश पारित करते हुए आवेदक का आवेदन–पत्र स्वीकार किया।

यह कि वर्तमान अनावेदक कमॉक–1 अधिनस्थ

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2606-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	